<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

केन्द्रीय सूचना आयोग 2006 से प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करता आ रहा है। इसका सारतत्व और औचित्य इस अवधारणा में निहित है–''**उत्तम विचारों को प्रत्येक दिशा से हमारे पास आने दो।**'' सूचना अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में केन्द्रीय सूचना आयोग ने विज्ञान भवन में 12 से 15 अक्टूबर 2006 को तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था जिसमें संचार माध्यमों से जुड़े प्रतिनिधियों सहित इस विषय में पारंगत विद्वानो, समाजसेवियों आदि ने 700 से अधिक की संख्या में भाग लिया। केन्द्रीय सूचना आयोग का राज्य मुख्य सूचना आयुक्तों एंव सूचना आयुक्तों के साथ दूसरा सम्मेलन इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में 17 अक्टूबर 2007 को आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में देश भर से आए लगभग 175 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह एक प्रकार से इस अधिनियम से जुड़े तन्त्र का अन्तः अवलोकन था ताकि, केन्द्र एंव राज्य आयोग एक दूसरे से समस्याओं और समाधान के परिप्रेक्ष्य में विचार–विमर्श कर सकें।

इस श्रृंखला में वर्तमान सम्मेलन तीसरा है। भारत के प्रधान मंत्री ने इस सम्मेलन के उद्घाटन हेतु अपनी सुखद सहमति प्रदान की है और लोक सभा के अध्यक्ष कृपापूर्वक इसके समापन सत्र को सम्बोधित करेंगें। वर्तमान सम्मेलन का विस्तृत विषय हैं–''**सूचना का अधिकार एंव सु–शासन**''। दो दिवसीय इस सम्मेलन में सात तकनीकि सत्र होगें जो सु–शासन के विस्तृत आयामों से संबंधित होंगें। वर्तमान सम्मेलन में उपरोक्त के साथ–साथ समाज के प्रतिनिधियों एंव सार्क देशों के संचार माध्यम एंव सूचना के अधिकार से जुड़े महानुभाव भी शिरकत कर रहें है। इस दो दिवसीय विचार विमर्श से सामयिक विषयों पर बहुमूल्य सुझाव एंव दूरगामी प्रभाव के प्रसांगिक विचार सामने आने की अपेक्षा है। विभिन्न संगठनों जैसे, सी0 जी0 जी0, यशदा, और लोक एंव प्रशिक्षण विभाग ने अपने–अपने कतिपय प्रकाशन इस सम्मेलन में प्रदर्शन के लिए भेजे हैं। विभिन्न तकनीकि सत्रों की अध्यक्षता न्यायाधीश श्री जे0 एस0 वर्मा भुतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, श्री बी0 एन0 युगांधर, सदस्य, योजना आयोग, श्रीमती अरूणा राय, समाजिक कार्यकर्त्ता, श्री प्रणय राय, सी0 एम0 डी0, एन0डी0टी0वी0, श्री वजाहत हबीबुल्लाह, केन्द्रीय मुख्य सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सूचना आयोग, और श्री ए0 एन0 तिवारी केन्द्रीय सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सूचना आयोग करेंगें।

प्रथम सत्र ''**सूचना का अधिकार एंव पारदर्शी शासन**'' से संबंधित है। इसमें सूचना अधिकार अधिनियम का शासन व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर पड़ने वाले प्रभावों पर पारदर्शिता के परिप्रेक्ष्य में परिचर्चा अपेक्षित है। दूसरे शब्दों में, इस सत्र की परिचर्चा में सूचना का अधिकार और सु–शासन के बींच कार्य–करण प्रभाव संबंधो का विश्लेषण किया जाएगा। इस सत्र का निष्कर्ष भविष्य में इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु एक दिशा–निर्देश तैयार करेगा, ऐसी आशा है।

दूसरा सत्र ''**सूचना का अधिकार– विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक अलग रणनीति की आवश्यकता**'' से संबंधित होगा। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक अलग रणनीति अपनाए

जाने की आवश्यकता औचित्य पर विचार–विमर्श किया जाएगा। इस सत्र से ग्रामीण क्षेत्रों में इस अधिनियम की सफलता के कुछ अनुकरणीय उदाहरण उभर कर सामने आएगें। ग्रामीण क्षेत्र के जनसमुदाय के बींच सूचना अधिकार अधिनियम के प्रति जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों पर दृष्टि डालने का भी यह एक अवसर होगा।

प्रथम दिन के अंतिम सत्र में ''**सूचना का अधिकार एंव गरीबी उन्मूलन**'' पर चर्चा की जाएगी। इस सत्र के वक्ता सूचना अधिकार अधिनियम के सामाजिक–आर्थिक परिवेश से संबंध पर व्याख्या प्रस्तुत करेंगें। विचार–विमर्श के निष्कर्ष इस तरह के अधिनियम की विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को गतिशीलता प्रदान करने की क्षमता पर भी प्रकाश पड़ सकेगा।

दूसरे दिन का सत्र ''**सूचना का अधिकार और व्यक्तिगत गोपनीयता का संरक्षण**'' विषय से प्रारंभ होगा। ऐसे किसी मंच पर शायद इस विषय पर पहली परिचर्चा होगी। इससे प्रथम दृष्टया इन दोनो के विरोधाभाषी संबंध होने की अवधारणा को बल मिलेगा। यह सत्र सूचना का अधिकार एंव व्यक्तिगत निजता के बींच सहज सह–अस्तित्व को उजागर कर सकेगा। इस सत्र के निष्कर्ष काफी आकर्षक होंगें और इन मुद्दों पर भविष्य हेतु विधायी कार्य जो होना है स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आ सकेंगें।

दूसरे दिन के द्वितीय सत्र में सूचना के अधिकार के कार्यान्वयन में संचार माध्यमों एंव समाजसेवी संस्थाओं की भूमिका पर परिचर्चा आयोजित की जाएगी। इस सत्र में इस प्रकार के मुख्य कारकों द्वारा सूचना के अधिकार के कार्यान्वयन की दिशा में अब तक दिये गए योगदान की भी चर्चा होगी। इसमें कतिपय जोशीले हिस्सेदारी की आशा है।

''**दक्षिण एशिया में सूचना का अधिकार– एक विहंगमावलोकन**'' विषय पर दूसरे दिन का तृतीय सत्र होगा जिसके तीन वक्ता सार्क देशों के होंगें। उनके द्वारा उन देशों में सूचना कानूनों की मौजूदा स्थिति पर प्रकाश डाला जाएगा। इस सत्र के निष्कर्ष दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सूचना की स्वतंत्रता पर एक सिंहावलोकन होंगें।

सम्मेलन का अंतिम सत्र ''**सूचना का अधिकार का समसामयिक मूल्यांकन**'' से संबंधित है। यह सत्र सम्मेलन में अपने प्रकार का एक प्रयास होगा जिसमें अधिनियम का मूल्यांकन सरकार एंव नागरिक समुदायों द्वारा साथ–साथ प्रस्तुत किया जाएगा। यह सत्र ऐसे अध्यनों के मूल में उपयुक्त मापदंडों पर भी परिचर्चा का अवसर प्रदान करेगा। अध्ययन पद्धतियों, नमूनों का चयन और मापदंडों के निर्धारण पर बहस को आगे बढ़ाने की आशा है।

इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि, सुविज्ञ नागरिक समुदाय और शासन में पारदर्शिता एक ऐसे चलायमान प्रजातंत्र के गतिशिलता के लिए अति आवश्यक हैं जहॉ भ्रष्टाचार न्यूनतम स्तर पर हो तथा सरकार और उसके तंत्र पारदर्शी एंव जनता के प्रति जवाबदेह हों। और इस प्रकार, सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 स्वतंत्रता के बाद अधिनियमित हुए सबसे महत्वपूर्ण अधिनियमों में से एक है। यह कार्यान्वयन एंव पर्यवेक्षण पद्धति के संदर्भ में केन्द्र एंव राज्य सरकारों के लिए दायित्वों का निर्धारण करता है। इस आयोजन और इससे जुड़ी अपेक्षाओं के इस समग्र परिप्रेक्ष्य में देखना श्रेयस्कर होगा।